कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन) गुना (म0प्र0)
दूरभाष :– 07542–255626, 254579, 253540 फैक्स :07542–255408, 253540
E-Mail : deogunale@gmail.com

क्रमांक / स्था.निर्वा / 2021 / 102 गुना, दिनांक 26 / 03 / 2021

लोहे के बाक्स (पेटी) क्रय करने की सूचना

नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायंत आम निर्वाचन 2020–21 में ई.व्ही.एम. मशीनों की डी.एम.एम. रखने हेतु लोहे के बाक्स क्रय करने हेतु पेटी निर्माता / विक्रेता से स्थानीय निर्वाचन कार्यालय गुना के लिये डी.एम.एम. रखने हेतु लोहे के बाक्स (पेटी) आन्तरिक माप 25 इंच **X** 22 इंच **X** 18 इंच के करीब 10 टीन बाक्स की आवश्यकता है, के लिये कोटेशन दिनांक 27.03.2021 शनिवार को अपरान्ह 3.00 बजे तक इस कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही कोटेशन आमंत्रित किये जाते है।

1. लोहे के बाक्स (पेटी) का नमूना इस कार्यालय में उपलब्ध है। आयोग द्वारा निर्धारित माप का पत्र कोटेशन के साथ संलग्न है। कोटेशन दाता बाक्स का कार्यालय में आकर अवलोकन कर सकते है। अवलोकन उपरान्त ही दर दी जाये। नमूना अनुसार ही लोहे के बाक्स (पेटी) तैयार होना है।
2. कोटेशन सील बन्द लिफाफे जिस पर नगरीय निकाय एवं त्रि–स्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन 2021 हेतु डी.एम.एम. रखने हेतु लोहे के बाक्स (पेटी) हेतु कोटेशन लिखा हो दिनांक 27 मार्च 2021 की अपरान्ह 3.00 बजे तक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) गुना को पहुच जाना चाहिये इसके पश्चात प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किये जायेगे।
3. प्राप्त कोटेशन उसी दिनांक को अपरान्त 04.00 बजे अथवा अन्य निर्धारित दिनांक को कोटेशनदाता अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी।
4. लोहे के बाक्स (पेटी) की चादर की मोटाई 1.0 एम.एम. की चद्दर की बनी होना चाहिये। पेटी के सामने के हिस्से पर लगने वाले लोगो का साईज **50.0X30.0** से.मी. रहेगा।
5. टीन बाक्स के दोनो और दो–दो हेण्डल एवं दो सांकल कुन्दे अच्छी क्वालिटी के होने चाहिये।
6. बाक्स (पेटी) तैयार होने पर स्वयं के व्यय एवं साधन से कार्यालय द्वारा बताये गये जिला मुख्यालय स्थान पर पहुचाना होगा। इसके लिये अलग से कोई राशि (हम्माली / किराया भाडा के रूप में) भुगतान नही किया जावेगा।
7. कोटेशन में लोहे के बाक्स (पेटी) की दरे जी.एस.टी. व अन्य सभी प्रकार के कर सहित अंकित की जाये। पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. लोहे के बाक्स (पेटी) का परिमाप / डिजाइन को कार्यालय में देखा जा सकता है।
9. स्वीकृत कोटेशन उपरान्त फर्म को कार्यादेश जारी करने के 07 दिवस में बाक्स प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
10. कलेक्टर गुना को किसी भी कोटेशन को बिना कोई कारण दर्शाये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा। सभी विवादो का न्याय क्षैत्र गुना होगा।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी(स्था.निर्वा.)
जिला गुना म.प्र.

253/dsktop /shivam bhargava

//2//

पृ. कमाक/ 103 /स्था0 निर्वा0/2021 गुना, दिनांक 26/03/2021

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,गुना की ओर जिले की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त) ....
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ....
6. तहसीलदार (समस्त) ....
7. मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद (समस्त) ....

क्रमांक 3 से 6 तक की ओर भेजकर लेख है कि उक्त कोटेशन की सूचना अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर आम जनता के लिये चस्पा कराये।

8. सहायक संचालक, जन सम्पर्क कार्यालय, गुना की ओर भेजकर लेख है कि स्थानीय समाचार–पत्रों में दिनांक 27 मार्च 2021 के पूर्व प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी(स्था.निर्वा.)
जिला गुना म.प्र.

254/dsktop /shivam bhargava